न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 61/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/197)

1. अमरसिंह पुत्र रामजीलाल
2. प्रहलाद पुत्र रामजीलाल
3. लल्लू पुत्र रामजीलाल
4. सीताराम पुत्र रामजीलाल
5. सुन्दर पुत्र रामजीलाल

जाति गुर्जर निवासी ग्राम राणोली वर्तमान तहसीलदर बहरावण्डा जिला दौसा।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार, बहरावण्डा, जिला दौसा राजस्थान।

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 28.06.2019 अपील संख्या 21/2019 अनुवानी अमरसिंह वगै0 बनाम सरकार व निर्णय उप तहसीलदार बहरावण्डा दिनांक 10.09.2018 प्रकरण अनुवानी सरकार बनाम अमरसिंह, प्रकरण संख्या 52/2018 में पारित किये गये हैं।

उपस्थित–

1. श्री सी.एल.मीना, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –30.09.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 28.06.2019 एवं उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 10.09.2018 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 10.09.2018 को ग्राम राणोली तहसील बहरवावण्डा में स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 169 रकबा 0.40 है0 किस्म चरागाह भूमि पर अतिक्रमण मानकर अपीलान्ट को 30 दिन के सिविल कारावास, बेदखली एवं 50 गुणा शस्ति कायम करने के दण्ड से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के यहां पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2019 द्वारा खारिज कर दी गयी।

3. उप तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा के निर्णय दिनांक 10.09.2018 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 28.06.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा दिनांक 10.09.2018 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 28.06.2019 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में यह तर्क दिया कि अपीलांट ने किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है ना ही काश्त की है इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को कोई सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया ना ही पटवारी हल्का ने

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलांट के समक्ष भूमि का मौका देखा ना मौका रिपोर्ट बनाई। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय जैर अपील पारित कर दिया, किन्तु योग्य हर दो अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया व निर्णय पारित कर अपीलांट की सजा को बहाल रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रख दिया। अतः निर्णय हर दो अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय में यह तर्क भी दिया कि अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नहीं है ना ही इसका कोई हवाला ही अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में दिया है इसलिए भी बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित किये बिना अपीलांट को अतिक्रमी नहीं माना जा सकता । प्रार्थी का पूर्व में भी कोई अतिक्रमण साबित नहीं है। कानूनन सजा जैसे प्रकरण में पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई का मौका देना आवश्यक था परन्तु अधिनस्थ हर दो न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं फरमाया तथा निर्णय पारित कर सजा देने में गलती की है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं हुई। पटवारी हल्का से अपीलांट को जिरह का मौका भी नहीं दिया। बिना रिपोर्ट प्रदर्श हुए रिपोर्ट को साक्ष्य में ग्रहण ही नहीं किया जा सकता है। उनवानी अपील में अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट की ओर से अपीलाट के वकील ही उपस्थित होकर पैरवी करते थे व उनको ही हिदायत पैरवी कर रखी थी। अपीलांट के वकील ने अपील का निर्णय हो जाने की कोई सूचना या जानकारी अपीलांट को नहीं दी व कोविड–19 महामारी के कारण भी अपीलांट घर पर ही रहा व कहीं आ जा नही सका इसलिए अपीलांट समय सीमा में अपील पेश नहीं कर सके अब अपीलांट ने अपने वकील से सम्पर्क कर उनसे अपील के बारे में पूछा तो उन्होने बताया कि अपील 28.06.2019 को खारिज कर दी गई है इस जानकारी पर अपीलांट ने नकल का प्रार्थना पत्र दिया जिसकी नकल तारीख 21.06.2023 को प्राप्त हुई। अतः जानकारी व नकल मिलने से यह अपील पेश की जा रही है जो जानकारी से अंदर मियाद है व देरी क्षमा हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से संलग्न है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा का निर्णय दिनांक 28.06.2019 एवम उप तहसीलदार जी बहरावण्डा का निर्णय दिनांक 10.09.2018 निरस्त करने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट ने संवत 2075 में ग्राम राणोली में स्थित आराजी भूमि खसरा नं0 169 रकबा 0.40 है0 किस्म चरागाह में से 0.08 है0 पर आवास व बाडा बनाकर एवं 0.32 है0 पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 10.09.2018 को बेदखल करने एवं 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी उसे नकल दिनांक 21.06.2023 से प्राप्त होने पर बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की गई। गिरदावर के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट में राजकीय चारागाह भूमि पर आवास व बाडा बना कर अतिक्रमण करना व पश्चातवर्ती अतिक्रमी अंकित किया है। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर भी अंकित है। अपीलांट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट्स को दिनांक 10.08.2018 को नोटिस तामील हुआ है। नोटिस तामील होने के उपरांत अपीलांट स्वंय अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.08.2018 को उपस्थित हुये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि उनको सुनवाई व साक्ष्य एवं जिरह का अवसर नहीं दिया गया। साथ ही पटवारी हल्का से रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि अतिक्रमी द्वारा फसल को काट कर खाली कर दिया है। लेकिन आवास व बाडा बना कर अतिक्रमण कर रखा है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने संवत 2075 में ग्राम राणोली में स्थित आराजी खसरा नं. 169 रकबा 0.40 है0 किस्म चरागाह में से 0.08 है0 पर आवास व बाडा बनाकर एवं 0.32 है0 पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण किया हुआ है। जबकि कानून राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। अपीलान्ट द्वारा उक्त राजकीय चारागाह भूमि पर संवत 2075 के समय अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की कैफियत रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमी पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। ऐसे में राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने एवं अकुशं लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2019 को यथावत रखा जाता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

(डा. प्रवीण कुमार)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 30.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर